सत्यमेव जयते

Benefits of taking Udyam Registration

Link: - **https://udyamregistration.gov.in/Government- India/MinistryMSME-registration.htm**

Office of Development Commissioner (MSME)

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Date: Dec, 2021

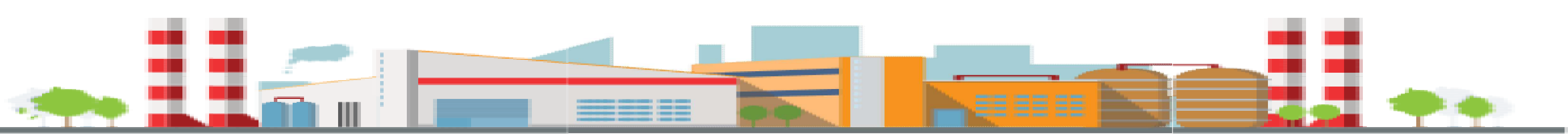

Benefits of taking Udyam Registration

The Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section(ii), dated the 26th June, 2020 notified composite criteria consisting of both investment and turnover as criteria for classifying the enterprises as Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the 1st July, 2020.

Udyam Registration Conforms to the new definition of MSMEs and facilitates ease of doing business.

Salient features:

- Anyone can obtain the Udyam Registration for the enterprise. It can be registered through the portal i.e. http://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm
- The process for Udyam Registration is fully digitalized and paperless. There is no need to upload any document.
- The registration process is totally free. No Costs or Fees are to be paid to anyone.
- An e-certificate, namely, "Udyam Registration Certificate" is issued online on completion of the registration process.
- This certificate has a dynamic QR Code from which the web page on the portal and details about the enterprise can be accessed.
- Whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Udyam Registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006.
- The online system is fully integrated with Income Tax and Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) systems and details on investment and turnover of enterprises are taken automatically from Government data bases. Exports are not taken as part of turnover calculation.
- Those who have EM-II or UAM registration or any other registration issued by any authority under the Ministry of MSME, will have to re-register themselves before 31st December, 2021.
- No enterprise shall file more than one Udyam Registration. However, any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Registration.

Requirement for Registration:

- Only Aadhaar and PAN Number are enough for registration.

- Having PAN & GST number is mandatory from 1st April, 2021. It is pertinent to mention here that as notified vide this office Notification No. S.O. 1055(E) dated 5th March, 2021,“The exemption from the requirement of having GSTIN shall be as per the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)”.

Benefits of this registration

- It will be a permanent registration and basic identification number for an enterprise.
- MSME Registration is paperless and based on self-declaration.
- There will be no need for renewal of Registration.
- Any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Registration. Along with the Udyam Registration, Enterprises may register themselves on GeM (Government e-Market place, a portal for G to B) & SAMADHAAN Portal (a portal to address issues relating to delay in payments) and simultaneously MSMEs themselves can also onboard on TReDS Platform,(the invoices of receivables are traded on this platform) through three available platforms i.e. 1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in”.
- The Udyam Registration may also help MSMEs in availing the benefits of Schemes of Ministry of MSMEs.
- Becomes eligible for priority sector lending from Banks.

Priority Sector Lending:

The Priority Sector Lending (PSL) guidelines are issued by Reserve Bank of India. RBI has issued guidelines on Priority Sector Lending vide its circular no RBI/FIDD/2020- 21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated 4th September, 2020. Accordingly, the categories under priority sector are (i) Agriculture (ii) Micro, Small and Medium Enterprises (iii) Export Credit (iv) Education (v) Housing (vi) Social Infrastructure (vii) Renewable Energy (viii) Others. Therefore, MSME Sector falls under Priority Sector Lending. As per RBI, the definition of MSMEs will be as per Government of India (GoI), Gazette Notification S.O. 2119 (E) dated 26thJune,2020 read with circular RBI/2020-2021/10 FIDD.MSME&NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 read with FIDD.MSME & NFS. BC. No.4/06.02.31/2020-21 dated 2nd July, 2020, 21st August, 2020 and updated recently on 26th October, 2021 respectively and updated from time to time. Further, such MSMEs should be engaged in the manufacturing or production of goods, in any manner, pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or engaged in providing or rendering of any service or services.

All bank loans to MSMEs conforming to the RBI guidelines qualify for classification under priority sector lending.

उद्यम पंजीकरण के लाभ

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), दिनांक 26 जून , 2020 के तहत एक संयुक्त मानदंड अधिसूचित किया है जिसमें सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश और कारोबार दोनों का मानदंडों के रूप में शामिल किया गया है जो 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी है।

'उद्यम पंजीकरण' की प्रक्रिया सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा के अनुपालन करने में तथा व्यापार करने की सुगमता के उद्देश्य से सुविधाजनक रहेगी।

मुख्य विशेषताएं:

- कोई भी इच्छुक उद्यम के लिए उद्यम पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। इसे https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm पोर्टल के जरिए पंजीकृत किया जा सकता है।
- उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया डिजिटलीकृत तथा कागज रहित है। किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया नि:शुल्क है। इसके लिए किसी को कोई लागत या शुल्क का भुगतान नहीं करना है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर "उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र" नामक ई-प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
- इस प्रमाण-पत्र का एक डायनेमिक क्यूआर कोड होता है जिसकी सहायता से पोर्टल पर उपलब्ध वेब पेज तथा उद्यम के बारे में मौजूद जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- जो कोई जान-बूझकर उद्यम पंजीकरण में दिए गए स्व-घोषित तथ्यों और आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या उन्हें छिपाने का प्रयास करता है या अद्यतन प्रक्रिया में गलत जानकारी देता है , सूक्ष्म्, लघु और मध्य म उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शास्ति का दायी होगा।
- ऑनलाइन प्रणाली आय कर तथा वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्रणालियों के साथ पूर्णतया एकीकृत है और उद्यमों के निवेश और उनके कारोबार से

संबंधित ब्यौरे सरकारी डाटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किए जाते हैं। निर्यात को कारोबार-परिगणना के भाग के रूप में नहीं लिया जाता है।

- ऐसे उद्यम जिनके पास ईएम- ।। या यूएएम पंजीकरण या एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य पंजीकरण है , उन्हें दिनांक 31 दिसंबर, 2021 से पूर्व स्वयं को पुन: पंजीकृत करना होगा।
- कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीकरण दायर नहीं करेगा। तथापि , विनिर्माण अथवा सेवा या दोनों से जुडे किन्हीं भी कार्यकलापों को एक पंजीकरण में विनिर्दिष्ट अथवा जोड़ा जा सकता है।

पंजीकरण के लिए आवश्यक:

- केवल आधार संख्या और पैन नंबर पंजीकरण के लिए पर्याप्त है।
- दिनांक 01.04.2021 से पैन और जीएसटी संख्या का होना अनिवार्य है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि दिनांक 05 मार्च 2021 के इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1055(अ) के अनुसार ''जीएसटीआईएन की आवश्यकता से छूट केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 12) के प्रावधानों के अनुसार होगी''।

इस पंजीकरण के लाभ

- यह किसी उद्यम का एक स्थायी पंजीकरण होगा तथा उसकी आधारभूत पहचान संख्या् होगी।
- एमएसएमई पंजीकरण कागज रहित और स्व-घोषणा पर आधारित है।
- पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- विनिर्माण या सेवा अथवा दोनों से जुड़े किन्हीं भी कार्यकलापों को एक पंजीकरण में विनर्दिष्ट अथवा जोड़ा जा सकता है। उद्यम पंजीकरण के साथ उद्यम स्वयं को जेम (सरकारी ई-मार्किट प्ले।स्र जी से बी के लिए पोर्टल) तथा समाधान पोर्टल (भुगतान में विलंब से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पोर्टल) पर पंजीकृत कर सकते हैं तथा साथ ही साथ एमएसएमई तीन उपलब्ध प्लेटफॉर्मो अर्थात 1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in माध्याम से स्वयं को

टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म (इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्ति.यों के इन्वाइसों का व्यापार किया जाता है) पर भी सम्मिलित कर सकते हैं।

- उद्यम पंजीकरण एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने में भी एमएसएमई की सहायता कर सकता है।
- बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋण को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाता है।

<u>प्राथमिकता क्षेत्र ऋण :</u>

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने (पीएसएल) के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/एफआईडीडी/2020-21/72 मास्टर डायरेक्शन एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 , दिनांक 04 सितम्बर, 2020 द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत श्रेणियां इस प्रकार हैं (i) कृषि (ii) सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्यम (iii) निर्यात क्रेडिट (iv) शिक्षा (v) हाउसिंग (vi) सामाजिक अवसंरचना (vii) नवीकरणीय ऊर्जा (viii) अन्य । अत: एमएसएमई क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत आता है। आरबीआई के अनुसार, भारत सरकार (जीओआई) के राजपत्र अधिसूचना का.आ. 2119 (अ.) दिनांक 26 जून, 2020, जो परिपत्र आरबीआई/2020-21/10 एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 के साथ पठित, जो एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी. सं.4/06.02.31/2020-21 के साथ पठित, जिसे क्रमश: दिनांक 2 जुलाई, 2020, 21 अगस्त, 2020 और जिसे हाल ही में दिनांक 26 अक्तूबर 2021 को अद्यतन किया गया है, समय समय पर अद्यतन किया जाता है, के तहत एमएसएमई की परिभाषा होगी । इसके अलावा , ऐसे एमएसएमई को उद्योग की पहली अनुसू ची (विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग के किसी तरीके , संबंध दर्शाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन में लगे होना अथवा किसी सेवा या सेवाओं को प्रदान करने में लगे होना चाहिए।

एमएसएमई को दिए जाने वाले सभी बैंक ऋण , आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुकूलन में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए योग्य हैं।

*****